# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 93/18

1. रघुवीर
2. मेघराम
3. केदार पिसरान लालजी
4. कजोडी पत्नि लालजी सभी जातियान मीना निवासीयान अययापुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. लल्लूराम पुत्र मूलाराम जाति मीना निवासी अययापुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. स्टेट आफ राजस्थान तामील जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम
मु0न0 3/08 निर्णय व डिग्री दिनांक 11.8.08 )

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की और से श्री मनोज कुमार शर्मा
2. रेस्पोडेटान की और से कोई उपस्थित नही

## निर्णय

दिनांक 29.1.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0न0 3/08 निर्णय व डिग्री दिनांक 11.8.08 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0/वादी ने दावा इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 257 रकबा 8 ऐयर, 260/3139 रकबा 7 ऐयर , 261 रकबा 30 ऐयर , 270 रकबा 39 ऐयर ग्राम किरवाडा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जो हाल राजस्व रिकार्ड मे इस भूमि की खातेदारी वादी लल्लू हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 दर्ज है। इसी प्रकार भूमि ख0न0 268 रकवा 15 ऐयर ,269 रकवा 13 ऐयर ग्राम किरवाडा मे स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि के पूर्व मे ख0न0 440 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा , 450 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा भू प्रबंध विभाग से नवीन नम्बर उपरोक्तानुसार दर्शाये गये है। प्रतिवादी लखन के स्व0पिता रामजीलाल पुत्र अर्जुन से मिती जेयेष्ठ सुदी 2 सम्वत 2039 मुताबिक तारीख 23.5.82 को मुबलिग 15000/–रूपये मे रामजीलाल के खातेदारी व कब्जे की भूमि गत ख0न0 440, 450 मे से रकबा 2 बीघ पक्की जमीन वादी ने क्रय की है। जिसकी लिखा पढी विक्रय नामा बही मे लिखा है। मौके पर उसी समय वादी का विक्रित भूमि पर कब्जा करा दिया। वादी विक्रय दिनांक 23.5.82 से आज तक भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। तथा प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त हो चुके है और वादी लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार हों गया है। अपने हक मे खातेदारी कराने का हकदार है। रामजीलाल का देहान्त आज से करीब 21 वर्ष पूर्व हो चुका है। उसका कायम मुकाम कानूनी

29.1.20
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

वारिस लखन लाल है। जो लखनलाल आज से करीब 17–18 वर्ष पूर्व गॉव से निकल गया है। जिसका कोई पता नही है। भूमि मुताबिक रिकार्ड प्रतिवादी 1 लखन के नाम दर्ज है। जिससे वादी के हक हकूको को काफी क्षति पहुँच रही है। वादी ने दिनांक 20.12.07 को तहसीलदार टोडाभीम के समक्ष हाल राजस्व रिकार्ड दिखाते हुए निवेदन किया कि लखन के स्थान पर मेरे नाम खातेदारी की जावे किन्तु तहसीलदार ने मना कर दिया। यदि वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही कि ग्राम किरवाडा की भूमि ख0न0 257, 260/2139, 261,270 मे हिस्सा 1/2 जो राजस्व रिकार्ड मे लखन पुत्र रामजीलाल के नाम दर्ज है व ख0न0 268, 269 मे से रकबा 9 ऐयर जो प्रतिवादी लखन के नाम हिस्से मे दर्ज है उसे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार को वादी के नाम खातेदारी करने के आदेश प्रदान करे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दावे मे प्रतिवादी लखन का विधिक वारिस बताते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पों0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही हुए ना ही उनकी और से कोई अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अपीलांट अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होनें से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने लखन का गांव से 20 वर्ष पहले निकलना एवं अदम तामिल मानकर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 संख्या 1 ने तामील कूनन्दा से साज कर झूठी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे पेश करवा दी तथा मात्र तामील कुन्नदा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.2.08 को अखबार में साया करोने के आदेश पारित कर दिये जबकि कानूनन एक बार अदम तामील आने पर दुबारा रजिस्टर्ड पोस्ट से तामील करानी चाहिए थी और रजिस्टर्ड पोस्ट पर भी यदि उक्त रिपोर्ट ही आती , तब अखबार में साया करने के आदेश पारित करने चाहिए थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून का घोर उल्लंघन कर यह निर्णय व डिक्री जेरे अपील पारित की है, जो काबिले खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने दैनिक नव ज्योति अखबार में लखन की तामील साया करने के आदेश पारित किये है जो एक राष्ट्रीय अखबार नहीं है और ना ही उक्त अखबार गांवो में ही जाता है। वास्तव में उक्त लखन के तामील का साया राष्ट्रीय अखबार राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर में करवाया जाना चाहिए था इस बिना पर भी निर्णय व डिक्री जेरे अपील काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.1982 के अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड फजी, कूटरचित लिखावट/विक्रयनामा के आधार पर लखन के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात की खातेदारी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हक में करने के आदेश पारित कर कानून की घोर अवहेलना की है। कानूनन ऐसे अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड विक्रयनामा के आधार पर किसी खातेदार की खातेदारी दीगर व्यक्ति के हक में हस्तान्तरित

Scanned by CamScanner

नहीं की जा सकती। मा0 उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित न्यायिक दृष्टान्तों से उक्त प्रकार का दृष्टिकोण साफ ज़ाहिर होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने लिखावट/विक्रयनामा तारीख 23.05.1982 पर निर्णय व डिक्री जेरे अपील पारित करने से पूर्व कतई गौर नहीं किया। उक्त लिखावट में साबिक खसरा नम्बर 440 व 450 की इबारत अलग कलम से तहरीर की गई है जो प्रथम दृष्टया ही फर्जकारी साबित करती है तथा उक्त लिखावट का ना तो कातिव ही न्यायालय में पेश हुआ है, और ना ही उक्त लिखावट के गवाहान को ही न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, तथा बिना अटेस्टेड गवाहान व बिना कातिव की गवाही किसी भी दस्तावेज को कानूनन प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रमाणित एवं अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड लिखावट के आधार पर निर्णय व डिक्री जेरे अपील पारित कर भारी कानूनी भूल की है। रेस्पो0 नं0 1 ने वादपत्र के वादपत्र के मद नं0 3 में रामजीलाल को करीब 21 वर्ष पूर्व फौत होना दर्ज किया है, और वादपत्र दिनांक 01.01.2008 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है जबकि उक्त लिखावट दिनांक 24.12.2007 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दी गई। जब रामजीलाल सन 2007 मे जीवित ही नही था तो नोटिस पब्लिक द्वारा मृत के खिलाफ कैसे तस्दीक कर दिया। इस प्रकार उक्त लिखावट फर्जी साबित होती है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटान की उक्त आराजी को हडपने की गरज रे उक्त फर्जी लिखावट कराई गई है। जिसका रेस्पो0 को कोई अधिकार नही है। लखन के कोई संतान नही थी लखन करीब पन्द्रह साल पूर्व अपीलांट के पास ही रहता था तथा लखन का खाना पीना अन्य सभी व्यवस्थाऐ अपीलांट के साथ ही थी। उक्त आराजीयात को लखन ने पन्द्रह वर्ष पूर्व ही अपीलांटान को संभला दी थी। जिस पर आज तक काबिज काश्त कर चला आ रहा है। मृतक लखन की पगडी भी अपीलांट के बंधी थी। इस कारण अपीलांटान लखन के जायज कायम मुकाम कानूनी वारिस है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया है। दिनांक 26.6.18 को पटवारी हल्का के पास लखन की जमीन की अपीलांटन के पक्ष मे खातेदारी दर्ज कराने गया तो पता चला कि जमीन तो काफी पहले से ही रेस्पो0 ने कोर्ट मे दावा कर अपने नाम करवा ली थी। इस प्रकार जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर उक्त फर्जीवाडे का पता चलने पर अपील पेश कर मय धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड मे हाल रेस्पो0 के नाम खातेदारी के कॉलम से 1/2 हिस्से को हजफ कर हाल जमाबंदी मे अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज कर रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अपीलांटान के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही कर तथा भूमि को रहन बय नही करे तथा हस्तान्तरित नही करे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवाद मृतक लखन की आराजीयात को लेकर है।

29.1.20

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

लखन पुत्र रामजीलाल का विधिक वारिस कौन था । यह पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक लिखावट दिनांक 23.5.82 को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। सामान्यतया किसी प्रकार के अपंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी दिये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन निर्णय किस आधार पर पारित किया है, इसका विस्तृत विवेचन अपने निर्णय मे नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतः हमारे मतानुसार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपीलाट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0न0 3/08 निर्णय व डिग्री दिनांक 11.8.08 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे क्षैत्राधिकार के सबंध मे विस्तृत विवेचन कर तथा उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के समक्ष दिनांक 25.2.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.1.20

( बी0एल0रमण )
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 15:00:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: